

प्रकरण संख्या - 59/शका/18

इरशाद खाँ बनायु फकरुद्दीन

04/02/2021- पत्रावली पेश हुई। वकील वादी को आवाज
दिलाई गई। न्यायालय समय से कई बार आवाज
दिलाने के उपरान्त भी इस प्रकरण में कोई भी
उपाय नहीं हुआ।

अतः वादवादी अदम हजरी अदम
पैरवी से खारीज किया जाता है। पत्रावली फंसल
शुमार की जावे एवं नम्बर से कम की जावे।

उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना, जिला झालावाड